

राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर भवन जी. 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक एफ 7(2)(~~70~~)/रा.छा./सा.न्या.एवं.अ.वि./21/१००५

जयपुर, दिनांक 31/8/2021

निदेशक

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,  
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बजट भाषण 2021-22 के बिन्दु संख्या 108 में की गई बजट घोषणा के अनुसरण में अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के संचालन किये जाने हेतु राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशन करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग द्वारा संचालित अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के संचालन शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु दिनांक 01.09.2021 से किये जाने हेतु ऑनलाईन प्रवेश पोर्टल दिनांक 01.09.2021 से किये जाने हेतु संलग्न विज्ञप्ति को राजस्थान के राज्य स्तरीय (दैनिक भास्कर एवं राजस्थान पत्रिका) समाचार पत्रों में न्यूनतम स्पेस में शीघ्र प्रकाशित कराने का श्रम करावें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(ओ. पी. बुनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

जयपुर, दिनांक 31/8/2021

क्रमांक एफ 7(2)(~~70~~)/रा.छा./सा.न्या.एवं.अ.वि./21/  
प्रतिलिपि:-

1. विज्ञापन प्रशाखा, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार विज्ञप्ति का शीघ्र जारी करवाने का श्रम करावें।
3. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), मुख्यावास को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की कार्यवाही करें।

31/08/2021


(अनुपम कायल)

अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)

**-प्रेस विज्ञप्ति-**

माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बजट भाषण 2021-22 के बिन्दु संख्या 108 में की गई बजट घोषणा के अनुसरण में अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना का संचालन दिनांक 01.09.2021 से किये जाने हेतु जारी प्रेस विज्ञप्ति:-

1. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जिला मुख्यालयों पर संचालित समस्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर (केवल शैक्षणिक पाठ्यक्रमों कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय हेतु) राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र (बालक) जो घर से दूर रहकर अन्य स्थान पर कमरा किराये पर लेकर (पेईंग गैस्ट कैं रूप में) अध्ययन करते हैं उन छात्रों हेतु आवास, भोजन एवं बिजली-पानी इत्यादि सुविधाओं हेतु पुनर्भरण राशि के रूप में अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के अन्तर्गत 2000/- प्रतिमाह प्रतिवर्ष (अधिकतम 10 माह हेतु) दी जावेगी।
2. उक्तानुसार योजना का संचालन शैक्षणिक सत्र 2021-22 में अध्ययनरत छात्रों हेतु प्रारम्भ की जा रही है।
3. योजना का लाभ:- योजनान्तर्गत SC, ST, OBC, MBC, EWS के छात्र जो राजकीय महाविद्यालय की स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कक्षाओं में नियमित रूप से अध्ययनरत छात्रों को देय होगा।
4. श्रेणीवार छात्रों का विभाजन:- योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के 1500 अनुसूचित जनजाति के 1500 अन्य पिछड़ा वर्ग के 750 अति पिछड़ा वर्ग के 750 आर्थिक पिछड़ा वर्ग के 500 विद्यार्थियों को लाभ दिया जावेगा।
5. योजना में छात्रों के ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था लागू की गई है। सामान्य दिशा-निर्देश का विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाइट <http://sje.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध है।
  1. आवेदन प्रक्रिया:- योजनान्तर्गत इच्छुक छात्र द्वारा ई-मित्र/ एस.एस.ओ. आई.डी. के माध्यम से उक्त पोर्टल पर जनाधार कार्ड के माध्यम से [sso.rajasthan.gov.in](http://sso.rajasthan.gov.in) एवं <http://sjms.rajasthan.gov.in> पर आमंत्रित आवेदन किया जावेगा। आवेदन हेतु पात्रता/शर्तों हेतु जारी दिशा-निर्देश का विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाइट <http://sje.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध है।
  2. योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करने का कार्यालय:- छात्र वर्तमान में जिस राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत है, उस महाविद्यालय के द्वारा ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की गहन जांच कर आवेदन पत्र स्वीकृतकर्ता अधिकारी (विभागीय जिलाधिकारी) को भिजवाया जावेगा। स्वीकृतकर्ता अधिकारियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त परिपूर्ण आवेदन पत्रों की ऑनलाईन स्वीकृति कर निर्धारित राशि का भुगतान छात्र के खाते में डीबीटी की जावेगी।
  3. स्वीकृतकर्ता अधिकारी:- योजनान्तर्गत लाभान्वित किये जाने हेतु जिलेवार, वर्गवार एवं संकायवार लक्ष्यों के अनुरूप नियमानुसार स्वीकृति संबंधित उप निदेशक/ सहायक निदेशक (जिलाधिकारी) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी की जावेगी।
  4. भुगतान प्रक्रिया:- अभ्यर्थी को मासिक/ प्रतिमाह भुगतान किया जायेगा।
  5. योजनान्तर्गत दिनांक 15.09.2021 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जावेंगे।

  
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग  
जयपुर